फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री विजय लालवानी
निवासी Hotel Florence, Near Sophia High School
आबूपर्वत जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 — मुकदमा नं. 7। वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible] तारीख [illegible] इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.11.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 22.09.2022, को ऑनलाईन एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा हीना रिसोर्ट के किए गए अवैध निर्माण, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, एनजीटी के 25.6.2009 की अधिसूचना का उल्लघंन, स्वीकृति से किए गए अधिक निर्माण पत्रावली में छेडछाड कर दस्तावेजों को बदलने एवं 16.3.2020 को पद पर रहे आयुक्त द्वारा निदेशालय को गलत जानकारी देकर गुमराह करने सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिस पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा आरोपों पर जांच करने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक/सामान्य/2022/282 दिनांक 21.02.2022 एवं उपखण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक/ 2022/249 व 1633/09 की पालनार्थ में तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त जांच रिपोर्ट अभी प्रक्रियाधीन है एवं उक्त जांच रिपोर्ट की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 22.09.2022, को ऑनलाईन एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा हीना रिसोर्ट के किए गए अवैध निर्माण, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, एनजीटी के 25.6.2009 की अधिसूचना का उल्लघंन, स्वीकृति से किए गए अधिक निर्माण पत्रावली में छेडछाड कर दस्तावेजों को बदलने एवं 16.3.2020 को पद पर रहे आयुक्त द्वारा निदेशालय को गलत जानकारी देकर गुमराह करने सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिस पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा आरोपों पर जांच करने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक/सामान्य/2022/282 दिनांक 21.02.2022 एवं उपखण्ड कार्यालय के [illegible]/ 2022/249 व 1633/09 की पालनार्थ में तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध [illegible] प्रदान किए गए थे। उक्त जांच रिपोर्ट अभी प्रक्रियाधीन है एवं उक्त [illegible] की सम्पूर्ण पत्रावली की सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली [illegible] अवलोकन करने पर यह [illegible] होता है कि उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 1106 दिनांक 04.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी का मूल आवेदन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को स्थानान्तरित कर दिया था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner